न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 41/2018 Gems No. 2018/00163
दायरा तिथि : 24.08.2018
प्राथमिक डिक्री दिनांकः 03.03.2020 **फाईनल डिक्री दिनांक** 26-08-2022

वादी :–
मगनलाल एस. परमार पुत्र सुखराजजी उम्र 77 वर्ष
जाति जैन निवासी कोसेलाव तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. स्व0 नेनाराम पुत्र पूनारामजी के कायम मुकाम वारिशान एवं वैध प्रतिनिधिः–
   श्रीमती गजरो धर्मपत्नि स्व0 नैनारामजी जाति घांची
   निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
2. जगाराम पुत्र जसारामजी
3. लालाराम पुत्र जसारामजी तमाम जाति घांची
   निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
4. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

उपस्थितिः–

1. श्री अमृत परिहार .... अभिभाषक वादी की ओर से से
2. प्रतिवादी संख्या 01 से 03 .....अनुपरिस्थत
3. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार........ पैरोकार सरकार की ओर से

–:: निर्णय ::– दिनांक : 26-08-2022

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण पेश कर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के संयुक्त सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि मौजा बाली के खसरा नंबर 2163 रकबा 0.0600 हैक्टर किस्म गै.मु. ढाणी व खसरा नंबर 2165 रकबा 5.21 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा–02 कुल रकबा 5.27 हैक्टर कुल लगान 36.47 रूपये के संबध में वादी के निहित 1/6 हिस्सा अनुसार विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वादपत्र के समर्थन में वादी द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 की प्रमाणित प्रति पेश की गई। तथा बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह वादी स्वयं मगनलाल एस. परमार के बयान कलमबद्ध कराये गये। प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 के कायम मुकाम एवं प्रतिवादी संख्या 02 व 03 बावजूद सम्मन तामील के वकालतन/ असालतन अनुपस्थित रहने से दिनांक 09.12.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–01 के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिये जाने पर वादी पक्ष द्वारा संशोधित शीर्षक प्रस्तुती के पश्चात् प्रकरण को वादी पक्ष की साक्ष्य में रखा गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने से वादी पक्ष की साक्ष्य के पश्चात् प्रकरण में वकील वादी की बहस के पश्चात् दिनांक 03.03.2020 को वादग्रस्त भूमि मौजा बाली के खसरा नंबर 2163 रकबा 0.0600 हैक्टर किस्म गै.मु. ढाणी व खसरा नंबर 2165 रकबा 5.21 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा–02 कुल रकबा 5.27 हैक्टर कुल लगान 36.47 रूपये के संबध में वादी के निहित 1/6 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तथा तहसीलदार, बाली से विभाजन रिपोर्ट तलब की गई। न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली द्वारा रेकर्ड में दर्ज वादी व प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन करते हुये अपने कार्यालय पत्रांक/ भू.अ./2021/ 1405 दिनांक 11.08.2021 से विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट के सबंध में वकील वादी श्री अमृत परिहार द्वारा एतराज/ आपत्ति प्रकट करने से न्यायालय आदेशिका दिनांक 27.09.2021 से वकील वादी की आपत्ति को स्वीकार करते हुये प्रकरण में जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार वादी का 1/6 हिस्सा अनुसार पुनः विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुती के निर्देश तहसीलदार, बाली को प्रदान किये गये। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, बाली ने पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुये अपने कार्यालय पत्रांक/भू.अ./2022/807 दिनांक 02.08.2022 से निम्नानुसार वादी व प्रतिवादी के भूमि रखते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत कीः–

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	विशेष विवरण
मगनलाल एस. परमार पुत्र सुखराज जाति जैन मैसर्स आदर्श टैक्सटाईल्स 73/75 विट्ठलवाडी प्रथम मंजिल रूम नंबर 4 मुम्बई हाल कोसेलाव तह. सुमेरपुर खातेदार	2165/1	0.87 हैक्टर	बारानी अव्वल	6.09	**लाल रंग**
गजरोबाई पत्नि नेनाराम हि. 2635/4400 जाति घांची, जगाराम पुत्र जसाराम हि. 1765/13200 जाति घांची भाटीबाई पत्नि जसाराम हि. 1765/13200 जाति घांची लालाराम पुत्र	2163 2165	0.06 हैक्ट. 4.34 हैक्ट.	गै.मु. ढाणी बारानी अव्वल	– 30.38	काला रंग
जसाराम हि. 1765/13200 जाति घांची सा. देह खातेदार	02	4.40 हैक्ट.	–	30.38	

पेज लगातार........02

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 41/2018 Gcms No. 2018/00163

अनवान मगनलाल बनाम स्व0 नैनाराम के कामु. गजरो वगैरा

अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से पुनः रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील वादी श्री अमृत परिहार ने बहस ने तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्राक/ भू.अ./2022/807 दिनांक 02.08.2022 से प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट से सहमति प्रकट करते हुये इसी अनुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के अवलोकन से यह जाहिर हैं कि विभाजन में न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार वादी का 1/6 हिस्सा ही रखा गया है। तथा उक्त विभाजन रिपोर्ट से वादी अधिवक्ता सहमत है। अतः पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांक/भू.अ./2022/807 दिनांक 02.08.2022 से पुनः प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त भूमि मौजा बाली के खसरा नंबर 2163 रकबा 0.0600 हैक्टर किस्म गै.मु. ढाणी व खसरा नंबर 2165 रकबा 5.21 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा-02 कुल रकबा 5.27 हैक्टर कुल लगान 36.47 रूपये के संबध में टिनेन्सी एक्ट की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:-

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	विशेष विवरण
मगनलाल एस. परमार पुत्र सुखराज जाति जैन मैसर्स आदर्श टैक्सटाईल्स 73/75 विट्ठलवाडी प्रथम मंजिल रूम नंबर 4 मुम्बई हाल कोसेलाव तह. सुमेरपुर खातेदार	2165/1	0.87 हैक्टर	बारानी अव्वल	6.09	**लाल रंग**
गजरोबाई पत्नि नेनाराम हि. 2635/4400 जाति घांची जगाराम पुत्र जसाराम हि. 1765/13200 जाति घांची भाटीबाई पत्नि जसाराम हि. 1765/13200 जाति घांची लालाराम पुत्र	2163 2165	0.06 हैक्ट. 4.34 हैक्ट.	गै.मु. ढाणी बारानी अव्वल	– 30.38	काला रंग
जसाराम हि. 1765/13200 जाति घांची सा. देह खातेदार	02	4.40 हैक्ट.	–	30.38	

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। लगान राशि 36.47 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक के बतौर नो0 ज्यू0 स्टाम्प पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बाली को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धावरुंड स्नेहल नाना)
उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 26-08-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास **सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.**

वादी :–

मगनलाल एस. परमार पुत्र सुखराजजी उम्र 77 वर्ष
जाति जैन निवासी कोसेलाव तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. स्व0 नेनाराम पुत्र पूनारामजी के कायम मुकाम वारिशान एवं वैध प्रतिनिधिः–
   श्रीमती गजरो धर्मपत्नि स्व0 नैनारामजी जाति घांची
   निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
2. जगाराम पुत्र जसारामजी
3. लालाराम पुत्र जसारामजी तमाम जाति घांची
   निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
4. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 41/2018 Gcms No. 2018/00163
वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांक/भू.अ./2022/807 दिनांक 02.08.2022 से पुनः प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त भूमि मौजा बाली के खसरा नंबर 2163 रकबा 0.0600 हैक्टर किस्म गै.मु. ढाणी व खसरा नंबर 2165 रकबा 5.21 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा–02 कुल रकबा 5.27 हैक्टर कुल लगान 36.47 रूपये के संबध में टिनेन्सी एक्ट की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:–

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	विशेष विवरण
मगनलाल एस. परमार पुत्र सुखराज जाति जैन मैसर्स आदर्श टैक्सटाईल्स 73/75 विट्ठलवाडी प्रथम मंजिल रूम नंबर 4 मुम्बई हाल कोसेलाव तह. सुमेरपुर खातेदार	2165/1	0.87 हैक्टर	बारानी अव्वल	6.09	**लाल रंग**
गजरोबाई पत्नि नेनाराम हि. 2635/4400 जाति घांची जगाराम पुत्र जसाराम हि. 1765/13200 जाति घांची भाटीबाई पत्नि जसाराम हि. 1765/13200 जाति घांची लालाराम पुत्र जसाराम हि. 1765/13200 जाति घांची सा. देह खातेदार	2163 2165	0.06 हैक्ट. 4.34 हैक्ट.	गै.मु. ढाणी बारानी अव्वल	– 30.38	काला रंग
	02	4.40 हैक्ट.	–	30.38	

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। लगान राशि 36.47 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक के बतौर नो0 ज्यू0 स्टाम्प पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बाली को लिखा जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26-08-22 को जारी किया गया।

मोहर

उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.)

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी बाली-पाली (राज)